फर्द अहकाम

गालीराम को॰ बनाम V/s रविन्द्र कुमार वगै॰

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) 7/2017

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21-3-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया नकल दिलायी गयी। वास्ते बहस हेतु राजस्व पत्रावली सायल दिनांक 11-4-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	11-4-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित। साक्ष्य सायल को अवसर चाहा वास्ते साक्ष्य सायल दिनांक 25-4-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	25-4-18 वकलाय उप. गण आदेश की पालना के दिनांक 21-5-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	21/05/18 प्रकरण राजस्व लोक अदालत में पेश हुआ, उपस्थित सायल व अधिवक्ता गैरसायल को सुना गया। सायल का निवेदन रहा कि ग्राम ढाणी जोगियान के ख.नं. 856, 859, 860 के संबंध में प्रार्थीगण के हिस्से तक, किसी प्रकार के निर्माण नहीं करने एवं विशिष्ट भू-भाग का बेचान नहीं करने हेतु	(चिरंजी लाल) 21-5-18 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

भालीराम को बनाम V/S राजेन्द्र कुमार को

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 87/2017 प्रार्थना पत्र अवमानना

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	21/05/18	अंतरिम आदेश से पाबन्द कर रखा है. फिर भी गैरसायल ने प्रार्थीगण की हिस्से की भूमि में लगे पीलू व नाडेकी को उखाड कर न्यायालय आदेश की अवहेलना की है। इसके संबंध में गैरसायल का निवेदन रहा कि अप्रार्थीगण का खेत प्रार्थीगण से अलग है, अतः अप्रार्थी सं. 2 से 8 के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, अप्रार्थी सं. 1 का जवाब रहा कि अप्रार्थी अपने भू-भाग पर ही काबिज है, तथा न्यायालय आदेश बाद किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय आदेश की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अतः हस्तगत अवमानना खारिज किया जाता है। साथ ही गैरसायल द्वारा भविष्य में न्यायालय आदेश की अवहेलना की जाती है तो सायल पुनः अवमानना प्रार्थना पत्र पेश करने को स्वतन्त्र रहेंगे। निर्णय मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर रहे। (हस्ताक्षर) 21/5/18 पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदा... न्याय आपके द्वार ...18

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official